

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

बल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक - एफ 73-41 /20-3/2004 भोपाल, दिनांक -
प्रति,


सचिव,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
वृत्त विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय देहली इन्टरनेशनल स्कूल, धार रोड, इन्दौर को
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. से सम्बन्धता हेतु
एन.ओ. सी. देने बाबत।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय देहली इन्टरनेशनल स्कूल, धार रोड, इन्दौर (म०प्र०)
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापूर्ति
प्रमाण - पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परिीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नोतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से जिन्हें कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है। परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा।


Principal

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

१ वारंवार वहरवार १

वर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठानंकन क्रमांक स्फ 73-⁴¹84/20-3/2004

भोपाल, दिनांक - 4/10/2004

प्रतिलिपि :-

1. आधुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - इन्दौर (म.प्र.)
3. प्राचार्य, अज्ञात देहली इन्टरनेशनल स्कूल, धार रोड, इन्दौर (म.प्र.)
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेक्षित है।

१ वारंवार वहरवार १

वर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//मानकर//
03.07.04

Principal
Delhi International School
INDORE